

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक : प्रशा-डी-तीन-8789/ 4828

दिनांक : 16-03-2020

सेवा में

वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल,
अम्बाला ।

विषय : Diversion of 0.0031 ha. of forest land for access to Kaiser Life API/Bulk Drugs along Bunga-Dabkauri road, R/side, at Village Dabkauri, under forest division Morni-Pinjore and District Panchkula, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Road/29837/2017

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 157 दिनांक 25-4-2019 ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है ।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670-व-2-2016/8430 दिनांक 6-5-2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.0031 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/स्वीकृति उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है :-

- (i) प्रयोक्ता एजेंसी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए ।
- (ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30-10-2002, 28-3-2008, 24-4-2008 एवं 9-5-2008 तथा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 5-2-2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रैजैन्ट वैल्यू जमा करवाई जाए ।
- (iii) प्रयोक्ता एजेंसी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की website www.parivesh.nic.in के माध्यम से अपने केस में चालान जनरेट करके उसमें अंकित लेखा में ही राशि जमा करवाएगी ।
- (iv) "अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006" की अनुपालना में सम्बन्धित जिलाधीश की ओर से प्रमाण पत्र प्राप्त करके तुरन्त इस कार्यालय को भेजें ।

3. अन्तिम स्वीकृति के उपरान्त निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जाएगा ।

- (i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।
- (ii) प्रस्ताव के अनुसार कोई वृक्ष/पौधा बाधक नहीं है इसलिए कोई वृक्ष/पौधा नहीं काटा जाएगा ।
- (iii) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।
- (iv) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जब कभी भी एन0पी0वी0 की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की राशि को केम्पा हरियाणा के लेखा में जमा करवाने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी ।

- (v) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएंगे ।
- (vi) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा ।
- (vii) सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा ।
- (viii) स्थानान्तरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गए कम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेन्ट के खम्भों द्वारा चिह्नित की जाएंगी ।
- (ix) यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरणीय समाशोधन प्राप्त करेगी ।
- (x) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा ।
- (xi) प्रयोक्ता एजेंसी किसी भी प्रकार के रख-रखाव के कार्यों के लिए वन विभाग के स्थानीय अधिकारी की अनुमति प्राप्त करेगी ।
- (xii) इस अनुमति अधीन प्रत्यावर्तन अवधि, प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली लीज अवधि या परियोजना काल, इनमें से जो भी कम हो, के साथ समाप्त हो जाएगी ।
- (xiii) अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है ।
- (xiv) इन शर्तों में से किसी भी शर्त की उल्लंघना वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की उल्लंघना होगी, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11-42/2017-FC दिनांक 29-1-2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।
- (xv) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी ।

4. उपरोक्त पैरा-2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा । अन्तिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा ।


 मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
 कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा
 पंचकुला ।

प्रतिलिपि :-

1. उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ को उनके पत्र क्रमांक 1-2/2019-CHA दिनांक 4-2-2020 के संदर्भ में ।
2. वन मण्डल अधिकारी, मोरनी-पिंजौर को उनके पत्र क्रमांक 1621 दिनांक 6-2-2020 के संदर्भ में ।
3. M/s Kaiser Life # 113, HIG PUDA House, Sector 48-C, Mohali (Punjab)